

**Central Goods & Services Tax Act, 2017**

**Section 121 : Non-appealable decisions and orders**

Notwithstanding anything to the contrary in any provisions of this Act, no appeal shall lie against any decision taken or order passed by an officer of central tax if such decision taken or order passed relates to any one or more of the following matters, namely:—

- (a) an order of the Commissioner or other authority empowered to direct transfer of proceedings from one officer to another officer; or
  - (b) an order pertaining to the seizure or retention of books of account, register and other documents; or
  - (c) an order sanctioning prosecution under this Act; or
  - (d) an order passed under section 80.
-

**धारा 121 : अपील न किए सकने वाले विनिश्चय और आदेश**

इस अधिनियम के उपबंधों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, केन्द्रीय कर के अधिकारी द्वारा लिए गए विनिश्चय या पारित आदेश के विरुद्ध अपील नहीं हो सकेगी, यदि इस प्रकार लिया गया विनिश्चय या आदेश निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक से संबंधित है, अर्थात् :-

- (क) आयुक्त या अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसा आदेश जो कार्यवाहियों को एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी को अंतरित करने का निदेश देने में सशक्त हो; या
  - (ख) लेखा बहियों, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों को जब्त करने या रोके रखने से संबंधित कोई आदेश; या
  - (ग) इस अधिनियम के अधीन अभियोजन की मंजूरी देने वाला कोई आदेश; या
  - (घ) धारा 80 के अधीन पारित कोई आदेश।
-